संख्या– 89 /XLII–1/2018–05(14)2011

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,
   कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी, 2018

विषय–संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के द्वारा 'संस्कृत' भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के तीर्थ स्थलों में प्रत्येक वर्ष अनेक तीर्थ यात्री एवं पर्यटक यात्राकाल में दर्शनार्थ आते हैं। संस्कृत भाषा के संवर्द्धन, उत्थान एवं व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी' की स्थापना की गयी।

2. उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उक्त भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–872/XLII-1/2017–05(04)2011, दिनांक 22.11.2017 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय एवं समस्त विभागों में अधिकारियों की नाम पट्टिकायें/बोर्ड हिन्दी के साथ–साथ संस्कृत भाषा में भी लिखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने तथा अपने विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों में अधिकारियों की नाम पट्टिकाएं/बोर्डों पर हिन्दी भाषा के साथ–साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग अवश्य किया जाय। उक्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। इस प्रयोजनार्थ संस्कृत अनुवाद हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या– 89 (1)/XLII–1/2018–05(14)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
प्रभारी सचिव।